

"कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022, दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित अमीन को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र० सं० | नाम/पदनाम                | वर्तमान तैनाती                      | नवीन तैनाती                        | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                   | 4                                  | 5                                          |
| 1.       | श्री लाल जी प्रसाद, अमीन | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल | एक्ट की धारा 17 (1) के (ग) के अनुसार       |

- सम्बन्धित अमीन को निर्दिष्ट किया जाता है, कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अमीन को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अमीन द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अमीन के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हो।=

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, आठवां/द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी/नैनीताल।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी/नैनीताल।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, टिहरी/नैनीताल।
- श्री लाल जी प्रसाद, अमीन, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
- आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

MRD

8.7.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

08.7.2022

पत्र संख्या:- 890 / 131का0प्र0-अधि0 / 22

दिनांक:- 08 / जुलाई / 2022

"कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/xxx-2-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022, दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित अमीन को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र० सं० | नाम/पदनाम             | वर्तमान तैनाती                              | नवीन तैनाती                       | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                           | 4                                 | 5                                          |
| 1.       | श्री भगवान सिंह, अमीन | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल। | एक्ट की धारा 17 (1) के (ग) के अनुसार।      |

- सम्बन्धित अमीन को निर्दिष्ट किया जाता है, कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अमीन को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अमीन द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अमीन के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

801=

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, दसवॉ रा0मा0/द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/नैनीताल।
- अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर/नैनीताल।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- श्री भगवान सिंह, अमीन, कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

MAJ

8.7.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

08.7.2022

"कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/xxx-2-22-30(13)2017, दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022, दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित अमीन को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र० सं० | नाम/पदनाम             | वर्तमान तैनाती                              | नवीन तैनाती                        | स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                           | 4                                  | 5                                          |
| 1.       | श्री उत्तम सिंह, अमीन | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट | निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून। | एक्ट की धारा 17 (1) के (ग) के अनुसार।      |

- सम्बन्धित अमीन को निर्दिष्ट किया जाता है, कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अमीन को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अमीन द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अमीन के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हो।=

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त/नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/देहरादून।
- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट/देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, चम्पावत/देहरादून।
- श्री उत्तम सिंह, अमीन, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।
- आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

08.7.2022